

an>

Title: Need for regulating private healthcare in the country

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity.

Madam, we all respect doctors and medical profession like any other society. But while on the one side, the doctors in the Government Hospitals are over-worked, under-paid and under a lot of pressure, on the other side, the doctors in the private sector, - not all of them, but a whole lot of them – practice profession as business and because of that a lot of financial irregularities are happening in the hospitals across the country and this needs to be corrected. मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जैसे किसी ने ट्राय बनाया, टैरिफ रेगुलेट्री बॉडी, उस तरीके की कोई मेडिकल प्रैक्टिस रेगुलेट्री बॉडी बनाई जाए जिसके अनुसार अस्पतालों के बीच में काम किया जाए क्योंकि एक तरफ स्टंट के दाम सरकार ने कम किये हैं परंतु प्रोसीजर के दाम उतने ही रहे, बल्कि बढ़ गये क्योंकि जो पैसा वहां से बचना था, उस तरीके से बिलिंग में उसको एड कर दिया गया। कोई रेगुलेट्री बॉडी जो कि डॉयगनासिस के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, अस्पताल के रख-रखाव के लिए एक स्टैंडर्ड रेट्स फिक्स कर दें। एक तक्षशिला इंस्टीट्यूट है, उसका यह भी मानना है कि प्रॉटेक्शन ऑफ पेशेंट्स सर्विसेज, यानी जो रोगी आते हैं, उनके लिए सर्विस बनाई जाए और 1300-1500 बैड्स के जो अस्पताल हैं, वहां पर किसी एक अफसर या किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करें कि वहां पर सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं और पारदर्शी मैथेडॉलोजी के तहत जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उनको मान-सम्मान मिले और सात ही जो बिजनैस कर रहे हैं, वे बिजनैस के तरीके से कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुणेपेद्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और डॉ. कुलमणि सामल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ एसोशिएट किया जाता है।

